

02-02-21

वकील उमचपत ज्य० ई। त.ज. पार्थना पर तर  
 बस सुनी गई। पार्थी के वकील ने पूर्व में  
 जारी त.ज. आदेश को कन्फर्म करने का  
 निर्देश दिया है। पार्थी/गण के वकील का  
 इहना है कि अपार्थी/गण की ओर से उल्लूह  
 अन्य दावा व त.ज. पार्थना पर में विवादित  
 स्वतंत्र न्यायों कि मोका व रिकार्ड की पथा-  
 स्थिति के आदेश हो रहे हैं। इसी अनुसार  
 इस त.ज. पार्थनापर का भी निर्णय कर दिया  
 जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले  
 में इस - आशालय द्वारा जारी अन्तरिम त.ज.  
 आदेश को कन्फर्म करना उचित समझते हैं।  
 अतः इस - आशालय द्वारा दिनांक 18.03.2015  
 को जारी अन्तरिम अस्मार्ह निर्देशों का  
 कन्फर्म किया जाता है एवं ग्राम अर्थी स्वतंत्र न्या.  
 143, 144, 145 ग्राम कडी सोपही की मोठे  
 कि प्रथास्थिति बनाये रखने हेतु अपार्थी/गण  
 को ताफ़ेसला दावा जारी त.ज. पाबन्द किया  
 जाता है। पत्रावली के साथ होकर दावे के साथ संलग्न रहे।



सहायक कोलेक्टर एवं  
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 गणपूर सिटी